


417



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2014 पुनरीक्षण R 325) - III/14

मुकेश माणिक
आदेश दि. 25-9-14 को
विरुद्ध
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. श्रीमती तिजिया बाई पत्नी रामप्यारे यादव
2. राजू पुत्र गुरवा चमार
दोनों निवासीगण ग्राम मानपुरा सर्किल
ईशानगर तहसील व जिला छतरपुर
3. श्रीमती पारवती पत्नी बंदी यादव
निवासी ग्राम चडयन का पुरवा सर्किल
ईशानगर तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)
..... आवेदकगण

विरुद्ध

1. मोहन पुत्र गनेशा चमार
निवासी ग्राम मानपुरा सर्किल ईशानगर
तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन

..... अनावेदकगण

शासन की प्रति
संलग्न है।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार तहसील छतरपुर जिला
छतरपुर द्वारा प्र.कं. 26/अ-3/2012-13 में पारित
आदेश दिनांक 7.8.13 के विरुद्ध म.प्र. मू. राजस्व संहिता
1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि -

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है।

-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-3257-तीन/2014

जिला-छतरपुर

श्रीमती तिजिया बाई आदि विरुद्ध मोहन व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अतिरिक्त तहसीलदार, तहसील छतरपुर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 26/अ-3/2012-13 में पारित आवेश दिनांक 07-08-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 13-05-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p style="text-align: center;">(आर0के0 जैन) सदस्य 18/3/19</p>